03/2/26	आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश हेतु पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप०। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

FORM NO – III

(नियम–25)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)

उनवान

कृष्ण कुमार बनाम तहसीलदार

मुक्दमा वाद नम्बर 43/2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मइनिशियल्स जज	तारीख में जारी हुए
03/2/26	आज यह पत्रावली हमारे समझ वास्ते आदेश हेतु पेश हुआ।यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार बहरोड़ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136एल.आर.एक्ट पर पेश हुयी। वकुलाय के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा आई.सी.आई.सी बैक शाखा महाराजा वास से नारेडा कलॉ एवं खातन खेडा कि जमीन पर के.सीसी. लोन लिया था। उक्त ऋण को वर्ष 2018 में मय ब्याज ऋण चुकता कर दिया जिसका अन्नापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। विभागीय भुलवस नारेडा कॅला के खसरा नम्बर में रहन इन्तकाल में आई.सी.आई.सी बैक शाखा महाराजावास कर दिया गया है जो सही है। जबकी महाराजावास कर दिया गया जो सही है। जबकी खतन खेडा के खखरा नम्बर में रहन करते समय आई.सी.आई. महाराजावास के बजाय आई.सी.आई बहरोड़ कर दिया गया जिसकी वजह से जमाबन्दी में रहन भैक इन्तकाल नही हो रहा है। अतः प्रार्थना पत्र श्रीमान जी निवेदन है जमाबन्दी में आई.सी.आई.बैक बहरोडऋ के बजाय आई.सी.आई बैक महाराजा करवा कर मुझे ऋण मुक्त करवाने कि कृपा करे। प्रार्थना पत्र को धारा 136 एल आर उक्त में दर्ज कर प्रतिवादीगगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को जरिर्ये नोटिस तलब किये जाने के आवजूद आज दिन तक न्यायालय हाजा में उपस्थित नही आये है।जिससे इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तदाउपरान्त प्रकरण में तहसीलदार बहरोड से राजस्व रिकार्ड के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार बहरोड़ ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रार्थी कृष्ण कुमार पुत्र नन्दलाल का धारा 6(1) के अनुसार वाके ग्राम नारेडा कॅला में ई. नम्बर 677 में प्रार्थी का हि0 ेहन आई.सी.आई. बैक शाखा माहाराजावास के नाम रहन दर्ज स्वीकार है। परन्तु वाके ग्राम खतन खेडा में ई.न. 307 से प्रार्थी का हि. राहिन आई.सी.आई. शाखा बहरोड के नाम रहन दर्ज स्वीकार है। जबकि वाके ग्राम खातन खेडा में इ. न. 307 के मुताबिक धारा 6(1)के अनुसार आई.सी.आई शाखा महाराजावास दर्ज होना चाहिए था रिपोर्ट तैयार कर वास्ते धारा 136 एलआर एक्ट के तहत शुद्व किया जाना उचित है बाबत् रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।	

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

वकुलाय फरिकेन की बहस सुनी। पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 232 रकबा 0.41 हैक्टेयर,349 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम नारेडा कॅला तहसील बहरोड़ को आई.सी.आई.सी.आई बैक शाखा महाराजा वास को कृर्षि ऋण में रहन किया गया था। धारा 6(1) के अधिन घोषण परिपत्र के जो पत्रावली में संलग्न किया गया। जिसका नामान्तकरण संख्या 677 बैक के पक्ष में आई.सी. आई.सी.आई बैक बैक शाखा महाराजावास रहन दर्ज कर दिया। उक्त नामान्तकरण का राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अमल करते समय शाखा माहाराजावास के स्थान पर शाखा बहरोड़ लिख दिया गया। जो गलत है। काबिल दुरूस्ती है। उक्त बैक द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.11.2022 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया ठै कि कृष्ण कुमार यादव पुत्र श्री नन्दलाल यादव निवासी खातन खेडा कि तरफ कोई ऋण बाकी नही है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी के बहरोड़ के अमल को हटाया जाना न्यायोचित है।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि आराजी खसरा नम्बर 232 रकबा 0.41 हैक्टेयर,349 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम नारेडा कॅला तहसील बहरोड़ में दर्ज आई. सी.आई.सी.आई बैक बहरोड़ को कलमजन कर आई.सी.आई.सी. आई बैक महाराजावास दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अहकाम बना तहसीलदार जारी हो।

आज दिनांक 03/2/2026 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना–II)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)